भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3412

23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय शहरों में टीओडी नीति का कार्यान्वयन

3412 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सितंबर, 2023 में जारी पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) परामर्शिका और राष्ट्रीय टीओडी नीति, 2017 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) क्या कई राज्यों और शहरों ने अभी तक टीओडी नीतियां नहीं बनाई हैं या उन्हें लागू नहीं किया है, जबकि टीओडी में मेट्रो और मास ट्रांज़िट सिस्टम में यात्रियों की संख्या बढ़ाने की काफी क्षमता है;

(ग) क्या देश के किसी भी शहर ने अब तक मेट्रो गलियारे के साथ-साथ टीओडी को सफलतापूर्वक लागू किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार कोपेनहेगन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से सीख लेकर, उचित पैदल दूरी के भीतर सुविधाओं की सुलभता वाले और पारगमन-उन्मुख शहर बनाने के लिए टीओडी-आधारित शहरी नियोजन को बढ़ावा देने का विचार रखती है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी परिवहन नियोजन सहित शहरी आयोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

2017 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचएयू) द्वारा जारी नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति, मेट्रो एंड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) जैसे बड़े पैमाने की पारगमन प्रणालियों के साथ भूमि उपयोग योजना को संरेखित करके स्थायी सघन शहरी विकास को बढ़ावा देती है। यह ट्रांजिट स्टेशनों के 500-800 मीटर के भीतर उच्च घनत्व, मिश्रित-उपयोग विकास को प्रोत्साहित करता है, जो कि बढ़े हुए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), बेहतर गैर-मोटर चालित परिवहन और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।

नीति के प्रमुख लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाना, यात्रा की मांग को कम करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए समावेशी आवास सुनिश्चित करना, पैदल चलने योग्य स्थानों की क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना और जलवायु-अनुकूल मोबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और भूमि मूल्य कैप्चर जैसे साधनों के माध्यम से सघन विकास, आवास एकीकरण, मिश्रित-भूमि उपयोग, और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है।

इसके अलावा, मेट्रो नीति 2017 के अनुसार, एक उपबंध यह है कि मेट्रो परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित इंटरमॉडल एकीकरण, सार्वभौमिक पहुंच, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए पर्याप्त पैदल मार्ग, सार्वजनिक बाइक साझा करने के लिए स्टेशन, साइकिल और निजी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के साथ-साथ सभी मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बसों के आने और जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर एक अध्याय अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014 अध्याय 5- शहरी नियोजन दृष्टिकोण में ऐसे नियोजन मानदंडों के प्रावधान किए गए हैं जो कॉम्पैक्ट, मिश्रित उपयोग वाले विकास और पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) को बढ़ावा देते हैं, जिसमें पर्याप्त पैदल मार्गों का प्रावधान, परिवहन प्रणालियों के साथ भूमि उपयोग का एकीकरण और सुरक्षित, सुलभ और पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण को बनाने के लिए संवर्धित कनेक्टिविटी शामिल है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत के तहत, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रों में से एक

है, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन उद्देश्यों के साथ पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए पैदल यात्री मार्गों, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थान आदि का प्रावधान शामिल है। अब तक, 1,022.27 करोड़ रुपये की 348 परियोजनाओं की नींव रखी जा चुकी है, जिनमें से 986.06 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। 430 किलोमीटर लंबा फुटपाथ/पैदल यात्री मार्ग और 43 किलोमीटर लंबा समर्पित साइकिल ट्रैक बनाया गया है।

मंत्रालय पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) के माध्यम से शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करता है। एसएसएएससीआई के टीओडी घटक के तहत, सरकार टीओडी कॉरिडोर को अधिसूचित करने के लिए राज्यों और शहरों को पूंजीगत वित्त पोषण प्रोत्साहन प्रदान करती है। एसएसएएससीआई 2023-26 (शहरी नियोजन सुधार) के तहत, आठ राज्यों में 39 टीओडी कॉरिडोर (ड्राफ्ट/फाइनल) अधिसूचित किए गए थे।

ये पहल वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप देश में टीओडी-आधारित, चलने योग्य और पारगमन-उन्मुख शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

*****